भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4020

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947, (शक)

सन्निर्माण कामगारों का कल्याण

4020. डॉ. शशि थरूरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 और इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत संग्रहीत निधि का कितना आवंटन और उपयोग किया गया है और सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु इन निधि के संवितरण की प्रक्रिया क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सन्निर्माण कर्मकारों के लिए सुरक्षा मानकों और कार्य स्थितियों में सुधार हेतु कार्यान्वित पहलों या कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, और उनकी प्रभावशीलता के संबंध में क्या आकलन है;

(घ) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सुरक्षा संबंधी उल्लंघनों, मजदूरी का भुगतान न करने या पर्याप्त संरक्षण के अभाव के संबंध में सन्निर्माण कर्मकारों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का निर्माण क्षेत्र में कर्मकार सुरक्षा और कल्याण सम्बंधी समस्याओं के समाधान के लिए कोई कानूनी या नियामक उपाय करने का विचार है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (अधिनियम) और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम), क्रमशः व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता (एसएस संहिता), 2020 में समाहित कर दिए गए हैं। दोनों संहिताओं को दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया था।

जारी...2/-

उपकर अधिनियम के अंतर्गत, निर्माण की कुल लागत का 1% उपकर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा एकत्रित किया जाता है और बोर्ड के संचालन हेतु राज्य बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड (बोर्ड) को हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार एकत्रित धनराशि का उपयोग बोर्ड द्वारा भवन निर्माण कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसमें दुर्घटना सहायता, बच्चों की शिक्षा, आवास के लिए ऋण और अग्रिम, पेंशन, बीमा, चिकित्सा सहायता, प्रसूति लाभ आदि शामिल हैं। इन निधियों के वितरण की प्रक्रिया संबंधित बोर्ड द्वारा प्रबंधित की जाती है।

केंद्र सरकार ने ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए एक सुनियोजित निरीक्षण योजना तैयार की है। सुरक्षा उपबंधों के अनुपालन को लागू करने के लिए उपबंधों के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र में निर्माण स्थलों पर निरीक्षण के माध्यम से सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा उपायों के प्रति संवेदनशील बनाने संबंधी कार्यक्रम भी समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं। इस संबंध में राज्य के कार्यक्षेत्र से संबंधित ब्यौरा संबंधित राज्य द्वारा बनाए रखा जाता है।

केंद्र सरकार ने प्रतिष्ठानों के निरीक्षण हेतु एक सुनियोजित योजना तैयार की है। सुरक्षा उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र में निर्माण स्थलों पर निरीक्षण के माध्यम से सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस संबंध में राज्य के कार्यक्षेत्र से संबंधित ब्यौरा संबंधित राज्य द्वारा बनाए रखा जाता है।

संबंधित बोर्ड निर्माण कामगारों द्वारा सुरक्षा उल्लंघनों, मजदूरी का भुगतान न किए जाने आदि के संबंध में दर्ज की गई शिकायतों या शिकायतों की संख्या पर अद्यतन डेटा का रखरखाव किया जाता है।

****